राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(6) वित्त/राजस्व/2025 जयपुर, दिनांकः– 03 JUN 2026

आज्ञा

श्री मनमोहन गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने एवं कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर, अलवर के द्वारा ज्ञापन जारी किये जाने के कारण राजस्थान लेखा सेवा के चयन सेवा संवर्ग हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री गुप्ता की वर्ष 2025–26 के लिए वरिष्ठ सेवा संवर्ग से चयन सेवा संवर्ग में पदोन्नति नतीजे को बंद लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा की गई थी।

श्री मनमोहन गुप्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कलक्टर, अलवर के द्वारा जारी ज्ञापन में इस विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरण में प्राप्त दस्तावेजों एवं श्री गुप्ता के प्रत्युत्तर के आधार पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के यथोचित आधार नहीं पाये जाने के कारण प्रकरण को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान लेखा सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त श्री मनमोहन गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी को दिनांक 01.08.2025 की रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2025–26 की रिक्तियों के विरूद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के चयन सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता हैं।

श्री मनमोहन गुप्ता की पदोन्नति उपरान्त वरिष्ठता श्री मंगत कुमार मित्तल एवं श्री कैलाश चन्द पुरोहित के मध्य रहेगी एवं श्री गुप्ता अपने वर्तमान पद को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

3.6.26

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/II) विभाग।
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

3.6.26
संयुक्त शासन सचिव

D:\FINANCE (REVENUE) DEPARTMENT\GUPTA - 3\Transfer Order- 1 (Recovered).docx 1240